न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः– 17 / 2018

प्रार्थीः– **बनाम** **अप्रार्थीगणः–**

1. भावजी पुत्र भाणजी भाई जाति पटेल, निवासी बिरोलियॉ तहसील बाली जिला पाली

अप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली
2. मांगुनाथ पुत्र गोजनाथ, जाति कालबेलीया निवासी बिरोलियॉ
3. डूॅगरसिहं पुत्र हंनवतसिहं, जाति राजपूत, निवासी निवासी बिरोलिया, तहसील बाली, जिला पाली
4. स्वर्गीय राजुसिहं व भॅवरकॅवर पत्नि राजुसिहं के कायम मुकाम वारिसान

4/1. स्वगीय अमरसिहं पुत्र राजुसिहं के कायम मुकाम

4/1/1. स्वर्गीय अचलसिहं पुत्र स्वगीय अमरसिहं के कायम मुकाम

4/1/1/1. तेजपालसिहं पुत्र अचलसिहं

4/1/1/2. तनेसिहं पुत्र अचलसिहं

4/1/1/3. गोविन्दसिहं पुत्र अचलसिहं

4/1/1/4. डिम्पलकॅवर पुत्री अचलसिहं

4/1/1/5. हर्षकॅवर पत्नि अचलसिहं

4/1/2. रणजीतसिहं पुत्र अमरसिहं

4/1/3. स्वर्गीय महावीरसिहं पुत्र अमरसिहं(लाऔलाद फौत)

4/1/4. कैलाशकॅवर पुत्री अमरसिहं

4/1/5. हेमाकॅवर पुत्री अमरसिहं

4/1/6. गुलाबकॅवर पत्नि अमरसिहं

4/2. हनमंतसिहं पुत्र राजुसिहं के कायम मुकाम वारिसान्

4/2/1. स्वर्गीय प्रतापसिहं पुत्र हनमंतसिहं के कायम मुकाम वारिसान्

4/2/1/1 शिशुपालसिहं पुत्र स्वर्गीय प्रतापसिहं

4/2/1/2 रेखा कॅवर पुत्री स्वर्गीय प्रतापसिहं

4/2/1/2 शोभा कॅवर पुत्री स्वर्गीय प्रतापसिहं

4/2/1/3 गुडीया कॅवर पुत्री स्वर्गीय प्रतापसिहं

4/2/1/4 सम्पतकॅवर पत्नि स्वर्गीय प्रतापसिहं

4/2/2. डूॅगरसिहं पुत्र हनमंतसिहं

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

4/2/3 स्वर्गीय शैतानसिहं पुत्र हनमंतसिहं के कायम मुकाम वारिसान्
4/2/3/1.अनीलसिहं पुत्र शैतानसिहं
4/2/3/2.योगेन्द्रसिहं पुत्र शैतानसिहं
4/2/3/3.असन्न कॅवर पुत्री शैतानसिहं
4/2/4. मेमाकॅवर पुत्री हनमंतसिहं

उपस्थितिः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी अभिभाषक अपीलाण्टस् की ओर से
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

–:निर्णयः– दिनांक 24/3/2022

वकील अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरण संख्या 54 दिनांक 15.03.1997 के विरूद्व प्रस्तुत की। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर होने से धारा 05 परिसीमा अधिनियम एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश होने पर अपील अपीलान्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तलब किये गये। उक्त अपीलाधिन म्यूटेशन के संबध मे पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2002 आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई थी। इस आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट डुंगरसिह द्वारा अतिरिक्त संभागिय आयुक्त जोधपुर में अपील पेश की तथा स्वंय को पिडित पक्ष बताया। डुंगरसिह की अपील दिनांक 14.05.2013 को स्वीकार की गई तथा प्रकरण इस न्यायालय को सुनने हेतु पुनः प्रतिपेषित किया तथा अपर न्यायालय के निर्देशो की पालना में अपील पुनः दर्ज की गई व रेस्पोडेन्ट को पक्षकार बनाकर नोटीस आवश्यक पक्षकारान् को जारी किये गये। व अपील बाद तामील के बहस हेतु मुकर्रर की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया एंव दोनो पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपील में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये जाहिर किया की अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाण ग्राम बिरोलिया की सीमा में स्थित खसरा संख्या 134 रकबा 1–65 हैक्टयर किस्म बारानी की भूमि खातेदार श्री मावजीभाई पुत्र भाणजी भाई जाति पटेल, निवासी बिरोलिया, तहसील बाली द्वारा दिनांक 03.03. 1966 खरीद की थी। जो जमीन जागिरदार राजुसिहं की पत्नि भॅवरकॅवर से खरिद की गई। बाद खरीद के मावजीभाई के नामातंरण संख्या 61 दिनांक 06.03.1968 को स्वीकृत किया गया। बाद स्वीकृती के पक्षकारान् के नाम खातेदारी में दर्ज रहा है। जो लगातार सन् 1997 तक रहा। तथा उक्त भूमि के तत्कालीन खसरा नम्बर पुराना 97 थे। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में उक्त जागीरदार बिरोलिया की कृषिभूमि बाबत् सिलिंग केस संख्या 258/70 इसके पति श्री राजुसिहं के प्रकरण सख्या 60/70 की संयुक्त रूप से तारीख 14.12.1978 को निर्णित किया,

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

जिसमें उक्त खातेदारी बैचाण को वैध मान्य किया। राज्य सरकार की अपीले की गई जो अस्वीकृत हुई तथा राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 38/95 दिनांक 14.11.1996 को निर्णित की गई। जिसमें 06 स्टेण्डर्ड एकड भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया गया। परन्तु उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय में श्रीमति भँवर कँवर द्वारा विक्रय की गई भूमि के बैचाण को अमान्य नही किया गया। जिसके उक्त पुराने खसरा संख्या 97 की खातेदारी क्रेतागण के पक्ष मे यथावत रही। तथा उपखण्ड अधिकारी बाली के सिलिंग प्रकरण संख्या 258/70 के निर्णय के पेज संख्या 4 पर न्यायालय की ओपीनियन दर्ज शुदा है। उक्त निर्णय द्वारा दिनांक 03.03.1966 का बैचाण विधि मान्य माना गया। इसके विरूद्व राज्य सरकार द्वारा कही पर भी अपील नही की गई। तथा उक्त आदेश आज भी प्रभाव में है तथा विधि मान्य आदेश होने के कारण अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार है तथा अनचैलेन्ज है।

रेस्पोडेन्ट तहसीलदार बाली ने नये खसरा संख्या 134 की भूमि बाबत् नियमानुसार जॉच किये बगैर दिनांक 15.03.1997 को म्यूटेशन संख्या 54 से सिवायचक खाते में दर्ज कर लिया । उक्त सिवायचक भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष मे क्षैत्राधिकार शुन्य कर दिया गया। चुकिं उक्त खातेदारी भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की थी जो धारा 30 ई की उप धारा (6) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य भूमि नही थी। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय अपील संख्या 38/95 में दिनांक 14.11.1996 को पारित किया गया था, राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय की पालना मे उपखण्ड अधिकारी बाली को जागीरदार राजुसिहं व इसकी पत्नि भॅवरकॅवर की भूमि आवाप्त कर राजसात करनी थी व इसकी पालना के लिये तहसीलदार को तहरीर जारी की। तहसीलदार द्वारा नामातंरण संख्या 54 के जरिये अपीलान्ट की भूमि सिवाय चक की। जिसका विरोध आवेदन उपखण्ड अधिकारी बाली में पेश किया जो दिनांक 10.03.1997 को खारिज किया। इसमे निर्देशित 06 स्टेण्डर्ड एकड भूमि का अधिग्रहण विधि विरूद्व अपीलान्ट की भूमि का करने के विरोध में राजस्व अपील अधिकारी समक्ष अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की जिसमे दिनांक 30.05.2000 को समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्णय पारित किया। इस कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है। चुकिं अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि हटाकर नामातंरण सिवाय चक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा क्षैत्राधिकार विहीन व शुन्य स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट की भूमि सिलिंग प्रभावित भूमि नही थी व हक अधिकार कब्जा विवाद रहित था। स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 54 शुन्य था। इसलिये अपील में हुई देरी कन्डोन करने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामातंरण खारीज करने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि सिलिंग भूमि बाबत् प्रकरण संख्या 258/70 में बैचाण विधिमान्य होने के बाद जागीरदार का कोई हक व अधिकार नही था तथा डुंगरसिहं द्वारा अतिरिक्त संभागिय आयुक्त में जो अपील की गई यह विधि विरूद्व है। राजस्व अपील अधिकारी पाली के यहॉ अपील संख्या 38/95 पेश हुई व इसका आदेश दिनांक 14.11.1996 को हुआ, इस निर्णय से भी अपीलान्ट की भूमि सिलिंग प्रभावित नही रही है, क्योकि उपखण्ड अधिकारी बाली का दिनांक 14.12.1978 के निर्णय से अपीलान्ट की भूमि सिलिंग प्रभावित नही है। उपखण्ड अधिकारी बाली व राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय की पालना में सिलिंग प्रभावित भूमि जो जागीरदार की अन्य भूमि थी उस भूमि में ऑफशन दिया जाकर भूमि को राजसात की जानी चाहीये थी।परन्तु

अति. जिला कलक्टर (सिलिंग)
पाली (राज.)

अपीलाधिन म्यूटेशन पारित कर अपीलान्ट की भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। चुकिं जब पुराने खसरा संख्या 97 की भूमि जिसके नये नम्बर 134 व अन्य बने इस भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का अधिकार नही था व इस संबध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपना आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था परन्तु इस पर तव्वजो नही देकर दिनाकं 10.03.1997 को अपीलान्ट की भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 30.05.2000 को आदेश पारित कर अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के निर्देश पारित किये गये थे व इसकी पालना में ही अपीलाधिन म्यूटेशन को चैलेन्ज किया है। राजस्व अपील अधिकारी पाली का आदेश दिनांक 30.05.2000 में उपखण्ड अधिकारी बाली का आदेश दिनांक 10.03.1997 मर्ज हो चुका है। इस कारण राजस्व अपील अधिकारी पाली के आदेश दिनांक 14.11.1996 अपील संख्या 38/95 का सहारा लेकर आपत्ती करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट को नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार सन् 1966 से है व 1997 तक लगातार जमाबंदी में नाम रहा है म्यूटेशन संख्या 54 क्षैत्राधिकार विहिन स्वीकृत किया गया है तथा अपीलान्ट के पंजियन बैचाण के अविधिमान्य नही होने के बाबत् कोई आदेश पारित नही था। उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा अपीलान्ट की भूमि अपीलान्ट को बिना सुने सिवाय चक दर्ज करने बाबत् आदेश पारित किया गया था, इस तरीके से पारित म्यूटेशन प्रांरभ से ही शुन्य है व अपीलान्ट को जानकारी होने पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई व राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 30.05.2000 द्वारा भी अपीलान्ट को कार्यवाही करने के लिये निर्देश पारित किये गये थे इस कारण से अपीलान्ट द्वारा जानकारी से जो अपील पेश की गई है यह अन्दर मयाद है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया की म्यूटेशन संख्या 54 अपीलान्ट को बिना सुनवाई के स्वीकृत किया गया है इस पर म्याद का प्रश्न आडे नही आता है तथा पारित म्यूटेशन प्रांरभ से ही शुन्य व अवैध है व जानकारी से जो अपील पेश की गई है यह अन्दर मयाद है। अपीलान्ट द्वारा जानबुझ कर लापरवाही नही बरती है। इस कारण से अपील को अन्दर मयाद मानी जावे। अपीलान्ट द्वारा हमारे समक्ष आर.आर.टी. 2002 वाल्युम एक पेज संख्या 257, आर.आर.डी. 19994 पेज संख्या 606, आर.आर.डी 1989 पेज संख्या 45, आर. आर. टी. 2011 (2) पेज संख्या 829 के दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस करते हुये यह निवेदन किया कि अपील को जानकारी से युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत कर दिया गया है तथा म्यूटेशन संख्या 54 जो अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का स्वीकृत कर सिवाय चक दर्ज की है , इस म्यूटेशन को खारिज कर अपीलान्ट के नाम पुनः म्यूटेशन दर्ज किया जावें।

सरकारी पैरोकार ने अपील बहस में जाहिर किया की उक्त भूमि सिलिंग प्रकरण में अधिग्रहण योग्य होने से तहसीलदार बाली ने भूमि अधिग्रहण कर सिवाय चक दर्ज की है। अतः पारित नामातंरण को खारिज नही किया जा सकता है।

अन्य रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता अनुउपस्थित है व उनकी और से कोई भी उपस्थित नही आया है।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी, रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 03.03.1966 के जरिये मावजीभाई द्वारा जागिरदार की पत्नि भॅवरकॅवर से भूमि खरीद की गई तथा अपीलान्ट के नाम दिनांक 06.03.1968 को म्यूटेशन संख्या 61 स्वीकृत होकर दर्ज हुआ तथा जमाबंदी में नाम दर्ज है तथा उपखण्ड अधिकारी बाली के सिलिंग प्रकरण संख्या 258/70 का निर्णय दिनांक 14.12.1978 को हुआ, इस निर्णय के द्वारा पुराने खसरा संख्या 97 की भूमि मावजीभाई को बैचाण हंस्तातरण की इस बैचाण को विधि मान्य माना गया तथा उपखण्ड अधिकारी बाली के उक्त आदेश को कही भी चैलेन्ज किया हुआ नही है तथा उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। तथा भूमि बैचाण होना व सिलिंग प्रकरण संख्या 258/70 का निर्णय होकर उक्त निर्णय निर्विवाद होना पत्रावली से स्पष्ट है तथा खसरा संख्या 97 के नये खसरा संख्या 134 व अन्य खसरा संख्या बने है जो भी निर्विविवादित है तथा खसरा संख्या 97 के नये खसरा संख्या 125, 126, 131, 134 कायम हुये जो खसरा मिलान से स्पष्ट है। उक्त अपील खसरा संख्या 134 के संबध में है। इस कारण से खातेदारी अधिकार अपीलान्ट के निर्विवाद है यह स्पष्ट है। तथा खसरा संख्या 97 सिलिंग प्रकरण में प्रभावित भूमि होने व खसरा संख्या 97 के मावजीभाई पंजियन बैचाण विधिमान्य माना गया जिसकी कई अपील भी नही हुई है। इस कारण से अपीलान्ट का नाम खातेदारी से हटाकर म्यूटेशन स्वीकृत करने का अधिकार तहसीलदार को नही था। जागीरदार राजुसिहं व उसकी पत्नि भॅवरकॅवर की जो अन्य भूमि बाबत् सिलिंग प्रकरण से 258/70 व 60/70 के संबध में अपील राजस्व अपील अधिकारी पाली में की गई व इस अपील के दिनांक 14.11.1996 को अपील संख्या 38/95 की पालना में भूमि राजसात की जानी थी तो उक्त भूमि जागीरदार की भूमि मे से ही प्राप्त कर सिवायचक दर्ज की जानी चाहीये थी। इस कारण से जो म्यूटेशन संख्या 54 पारित किया गया है यह विधि अनुसार नही है तथा अपीलान्ट की भूमि के जागीरदार राजुसिहं के वारिस पिडित पक्ष नही है तथा जागीरदार के वारिस होने के नाते विधिमान्य बैचाण होने आपत्ती करने का व ऑफ़शन में अपीलान्ट की भूमि सरेण्डर करने का अधिकार जागीरदार राजुसिहं के वारिसो को नही था तथा तहसीलदार बाली को भी इस बात की बखुबी जानकारी थी की अपीलाधिन भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने योग्य नही थी परन्तु सिवायचक दर्ज करने का म्यूटेशन संख्या 54 पारित कर दिया गया। हमारे द्वारा अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा म्याद के संबध में प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया गया। हमारा मत है कि जो भूमि मावजी भाई की थी। इनको बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना नोटीस दिये, म्यूटेशन संख्या 54 के जरिये नाम हटा दिया गया। उक्त म्यूटेशन की अपीलान्ट को जानकारी होने पर उक्त अपील पेश की है जानकारी के बाद अपीलान्ट की और से उपखण्ड अधिकारी बाली, राजस्व अपील अधिकारी पाली के यहॉं कार्यवाही भी की है। इस कारण से उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रस्तुत अपील को अन्दर अवधी में जानकारी से प्रस्तुत होना मानकर अपील को मेरीट पर निस्तारित करते है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 30ई की उपधारा 06 के अन्तर्गत अपीलान्ट स्वतन्त्र खातेदार कृषक थे, उक्त भूमि बाबत् भूतपूर्व जागीरदार राजुसिहं व उसकी पत्नि भॅवरकॅवर की भूमि नही रही व पंजिबद्ध विक्रयपत्र भी विधिमान्य रहा है। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 14.11.1996 की पालना में तहसीलदार बाली को 06 स्टैडर्ड एकड भूमि जागीरदार की भूमि में से आवाप्त किया जाना चाहीये था व विधि विरूद्व तरीके से अपीलान्ट की भूमि को आवाप्त कर

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

सिवाय चक दर्ज करने का म्यूटेशन स्वीकृत किया गया, इस पारित म्यूटेशन को हम अविधिमान्य होना निर्णित करते है। तथा अपीलान्ट के नाम पुनः म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने बाबत् तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश पारित करते है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नये सिरे से म्यूटेशन आदेश पारित करे। म्यूटेशन संख्या 54 दिनांक 15.03.1997 अपास्त किया जाता है। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनाक 14.11.1996 की पालना में जागीरदार राजुसिहं व उसकी पत्नि भॅवरकॅवर की भूमि में से भूमि आवाप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाली को इन निर्देशों के साथ पुनप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट की भूमि सिलिंग प्रभावित भूमि नही रहने से म्यूटेशन संख्या 54 दिनाक 15.03.1997 को अपास्त किया जाता है, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 14.11.1996 की पालना में तहसीलदार बाली, जागीरदार राजुसिहं व उसकी पत्नि भॅवरकॅवर की भाररहित भूमि में से सिलिंग प्रकरण में आवाप्त करने के लिये तहसीलदार बाली स्वतत्र है। उक्त आदेश की प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 25/3/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)